रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10052021-226949
CG-DL-E-10052021-226949

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1713] नई दिल्ली, सोमवार, मई 10, 2021/वैशाख 20, 1943
No. 1713] NEW DELHI, MONDAY, MAY 10, 2021/VAISAKHA 20, 1943

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)
(विदेश व्यापार महानिदेशालय)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 मई, 2021

सं. 05 /2015–2020

विषय : इंटीग्रेटिड सर्किट्स (आईसी) की आयात नीति में संशोधन और आईटीसी (एचएस), 2017, अनुसूची–I (आयात नीति) के अध्याय 85 के एचएस कोड 85423100, 85423900, 85423200, 85429000, और 85423300 हेतु नीतिगत शर्त को शामिल करना।

का.आ. 1840(अ).—समय–समय पर यथा–संशोधित विदेश व्यापार नीति 2015–20 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 5 और धारा 9 के साथ पठित धारा 3 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा आईटीसी (एचएस) 2017अनुसूची–I (आयात नीति) के अध्याय 85 के तहत निम्नलिखित मदों की आयात नीति में संशोधन करती है:

एचएसकोड	मद विवरण	मौजूदा नीति	संशोधित नीति	मौजूदा नीतिगत शर्त	संशोधितनीतिगत शर्त
85423100	इलेक्ट्रॉनिक इंटीग्रेटिड सर्क्रिट्स प्रोसेसर और कन्ट्रोलर, चाहे मेमरीज, कन्वर्टर्स, लॉजिकसर्किट्स एम्पलीफायर्स, क्लॉक और टाइमिंग सर्किट्स, या अन्य सर्किट्स के साथ कम्बाइन्ड हो या न हो	मुक्त	चिप आयात निगरानी प्रणाली (सीएचआईएमएस) के तहत अनिवार्य पंजीकरण के अधीनमुक्त	–	अध्याय 85 की नीतिगत शर्त 6 के अधीन

85423200	इलेक्ट्रॉनिक इंटीग्रेटिड सर्किट्स मेमरीज	मुक्त	चिप आयात निगरानी प्रणाली (सीएचआईएमएस) के तहत अनिवार्य पंजीकरण के अधीनमुक्त	–	अध्याय 85 की नीतिगत शर्त 6 के अधीन
85423300	इलेक्ट्रॉनिक इंटीग्रेटिड सर्किट्स ऐम्पलीफायर्स	मुक्त	चिप आयात निगरानी प्रणाली (सीएचआईएमएस) के तहत अनिवार्य पंजीकरण के अधीनमुक्त	–	अध्याय 85 की नीतिगत शर्त 6 के अधीन
85423900	इलेक्ट्रॉनिक इंटीग्रेटिड सर्किट्स–अन्य	मुक्त	चिप आयात निगरानी प्रणाली (सीएचआईएमएस) के तहत अनिवार्य पंजीकरण के अधीनमुक्त	–	अध्याय 85 की नीतिगत शर्त 6 के अधीन
85429000	पार्ट्स	मुक्त	चिप आयात निगरानी प्रणाली (सीएचआईएमएस) के तहतअ निवार्य पंजीकरण के अधीनमुक्त	–	अध्याय 85 की नीतिगत शर्त 6 के अधीन

2. एक नई नीतिगत शर्त सं. 6 को आईटीसी (एचएस), 2017, अनुसूची–I (आयात नीति) के अध्याय 85 में जोडा जा रहा है जिसे निम्नानुसार पढ़ा जाएगाः

i. चिप आयात निगरानी प्रणाली (सीएचआईएमएस) मे ंआयातकों को मदों के आयात हेतु ऑनलाईन प्रणाली में अग्रिम सूचना प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा और सीआईएफ मूल्य के न्यूनतम 100 रु. और अधिकतम 500 रु. के अध्यधीन एक रुपया प्रति हजार पंजीकरण शुल्क का भुगतान करके एक स्वचालित पंजीकरण संख्या प्राप्त करनी होगी।

ii. आयातक आयात खेप के आने की अनुमानित तिथि से अधिक से अधिक 60 दिन पूर्व और आयात खेप आने की तिथि तक पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकता है। स्वचालितपंजीकरण संख्या 75 दिनों की अवधि के लिए मान्य होगी। आयातक को प्रविष्टि बिल में पंजीकरण संख्या और पंजीकरण के समाप्त होने की तिथि लिखनी होगी ताकि सीमा शुल्क विभाग खेप की निकासी करने में समर्थ हो सके।

3. सीएचआईएमएस के ऑनलाइन परीक्षण की सुविधा, पंजीकरण शुल्क के भुगतान के बिना ट्रायल आधार पर दिनांक 01.05.2021 से www.imports.gov.in पर उपलब्ध होगी। सीएचआईएमएस दिनांक 01.08.2021 से लागू होगी अर्थात इस अधिसूचना में यथासूचीबद्ध मदों हेतु दिनांक 01.08.2021 को या इसके बाद प्रविष्टि बिल सीएचआईएमएस द्वारा अभि"ाासित होंगे। तदनुसार, सीएचआईएमएस हेतु ऑनलाइन पंजीकरण सुविधा दिनांक 01.08.2021 से उपलब्ध होगी।

अधिसूचना का प्रभावः उपर्युक्तसूचीबद्ध मदों की आयात नीति दिनांक 01.08.2021 से चिप आयात निगरानी प्रणाली (सीएचआईएमएस) के अधीन होगी।

[फा. सं. 01/89/180/29/एएम–20/पीसी–2(क)/ई–24342]

अमित यादव, महानिदेशक, विदेश व्यापार
एवं पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th May, 2021

No. 05/2015-2020

Subject : Amendment in import policy of Integrated Circuit s (1Cs) and incorporation of policy condition for HS Codes 85423100, 85423900, 85423200, 85429000, and 85423300, of Chapter 85 of lTC (HS), 2017, Schedule - I (Import Policy).

S.O. 1840(E).—In exercise of powers conferred by Section 3 read with Section 5 & Section 9 of FT (D&R) Act, 1992, read with paragraph 1.02 and 2.01 of the Foreign Trade Policy, 2015-2020, as amended from time to time, the Central Government hereby amends the import policy of following items under chapter 85 of I TC (HS), 2017, Schedule - I (Import Policy):

HS Code	Item Description	Present Policy	Revised Policy	Present Policy Condition	Revised Policy Condition
85423100	Electronic integrated circuits: --Processors and controllers, whether or not combined with memories, converters, logic circuits, amplifiers, clock and timing circuits, or other circuits	Free	Free subject to compulsory registration under Chip Imports Monitoring System (CHIMS)	-	Subject to Policy Condition 6 of Chapter-85
85423200	Electronic integrated circuits: --Memories	Free	Free subject to compulsory registration under Chip Imports Monitoring System (CHIMS)	-	Subject to Policy Condition 6 of Chapter-85
85423300	Electronic integrated circuits: --Amplifiers	Free	Free subject to compulsory registration under Chip Imports Monitoring System (CHIMS)	-	Subject to Policy Condition 6 of Chapter-85
85423900	Electronic integrated circuits: -- Other	Free	Free subject to compulsory registration under Chip Imports Monitoring System (CHIMS)	-	Subject to Policy Condition 6 of Chapter-85
85429000	Parts	Free	Free subject to compulsory registration under Chip Imports Monitoring System (CHIMS)	-	Subject to Policy Condition 6 of Chapter-85

2. A new Policy Condition No. 6 is being added in Chapter-85 of ITC (HS), 2017, Schedule-I (Import Policy) which reads as under:

i. The Chip Imports Monitoring System (CHIMS) shall require importers to submit advance information in an online system for import of items and obtain an automatic Registration Number by paying registration fee of Rs. 1 per thousand subject to minimum of Rs. 100/ and maximum of Rs. Rs 500 on CIF value.

ii. The importer can apply for registration not earlier than 60th day before the expected date of arrival of import consignment and can apply till the date of arrival of the import consignment. The Automatic Registration Number shall remain valid for a period of 75 days. Importer shall have to enter the Registration Number and expiry date of Registration in the Bill of Entry to enable Customs for clearance of consignment.

3. The facility of online testing of CHIMS, without payment of registration fee, will be available on www.imports.gov.in with effect from 01.05.2021 on trial basis. The CHIMS will be effective from 01.08.2021, i.e., Bill of Entry on or after 01.08.2021 for items as listed in this Notification shall be governed by CHIMS. Accordingly, the facility of online Registration for CHIMS will be available with effect from 01.08.2021.

4. **Effect of the Notification:** Import policy of item listed above shall be subject to Chip Imports Monitoring System (CHlMS) with effect from 01.08.2021.

[F. No. 01/89/180/29/AM-20/PC-2(A)/E-24342]

AMIT YADAV, Director General of Foreign Trade
& Ex- officio Addl. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2021.05.10 21:04:11 +05'30'